न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण।
पीठासीन पदाधिकारी–रवि रंजन
सत्रवाद संख्या– 713/25
कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या–276/25

16.03.2026: काराधीन अभियुक्त योगेन्द्र मल्लाह को कारा से प्रस्तुत किया गया। अभिलेख आज धारा 232 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त के तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री उपाध्याय सुनील कुमार एवं अभियोजन के तरफ से विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक श्री प्रभु प्रसाद उपस्थित हुए।

आदेश

प्रस्तुत वाद सूचक बृजनारायण कुशवाहा द्वारा दिनांक 27.01.1995 को करीब 03.30 बजे दिन में नौरंगिया थाना के दरोगा जी के समक्ष दिये गये फर्द बयान के आधार पर संस्थित इस कांड का अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 27.01.1995 को समय करीब 08 बजे दिन में रामगति कुशवाहा सूचक के दरवाजा पर टायर बैल के लिए आये थे। सूचक के यहॉ खाना खाकर वे रामनाथ कुशवाहा के यहॉ चले गये। बाद में गांव के लोगों द्वारा सूचक को जानकारी हुई कि रामनाथ कुशवाहा के द्वार पर करीब 8–10 अपराधकर्मी हरवे–हथियार से लैश होकर आये और रामगति कुशवाहा का अपहरण कर पश्चिम तरफ लेकर मारपीट करते हुये चले गये। सूचक का दावा है कि अपराधकर्मी रामगति कुशवाहा को जान मारने की नीयत से पकड़कर ले गये हैं।

सूचक द्वारा दिये गये फर्द बयान के आधार पर नौरंगिया थाना कांड संख्या–02/95 दिनांक 27.01.1995, 8–10 अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 364 भा.दं.वि. के अन्तर्गत दर्ज किया गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र संख्या–10/1995 दिनांक 16.05.1995 अभियुक्तगण सुरेश बीन, जोगेन्दर मल्लाह उर्फ योगी मल्लाह को हिरासत में तथा अभियुक्तगण रामचन्द्र चौधरी, दशरथ चौधरी, शंकर मल्लाह, बुधु मल्लाह को फिरार दिखाते हुये धारा 364 भा.दं.वि. के अन्तर्गत समर्पित किया गया जिसके आलोक में दिनांक 15.06.1995 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी छः अभियुक्तगण सुरेश बीन, जोगेन्दर मल्लाह उर्फ योगी मल्लाह, रामचन्द्र चौधरी, दशरथ चौधरी, शंकर मल्लाह, बुधु मल्लाह के विरूद्ध धारा 364 भा.दं.वि. के अन्तर्गत घटना का संज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण दशरथ चौधरी, शंकर मल्लाह, सुरेश बीन, बुधु मल्लाह एवं रामचन्द्र चौधरी की मृत्यु हो जाने के कारण दिनांक 25.09.2013, दिनांक 30.06.2025 तथा दिनांक 08.07.2025 के आदेश से उनके विरूद्ध वाद की अग्रिम समस्त कार्यवाही स्थगित कर दिया गया तथा यह वाद शेष एकमात्र अभियुक्त योगेन्द्र मल्लाह उर्फ योगी मल्लाह के विरूद्ध चलने लगा। दिनांक 30.07.2025 को अभियुक्त योगेन्द्र मल्लाह उर्फ योगी मल्लाह का वाद दौरा सुपुर्द कर विचारण हेतु सत्र न्यायालय भेजा गया। वाद विचारण पश्चात् यह वाद इस न्यायालय को निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ।

दिनांक 03.09.2025 को अभियुक्त के विरूद्ध धारा 364 भा.दं.वि. के अन्तर्गत आरोप का गठन कर हिन्दी में पढ़कर सुनाया गया, जिससे अभियुक्त ने इंकार किया व विचारण की मांग की।

वाद विचारण के क्रम में न्यायालय की ओर से साक्षियों की उपस्थिति हेतु साक्षियों पर दिनांक 27.09.2025 को सम्मन, दिनांक 20.11.2025 को जमानतीय अधिपत्र, दिनांक 11.12.2025 को गैर जमानतीय अधिपत्र, दिनांक 22.01.2026 को आरक्षी अधीक्षक को पत्र निर्गत किया गया है जिसके बावजूद भी अभियोजन किसी भी साक्षी को साक्ष्य हेतु न्यायालय के

लगातार.....

समक्ष उपस्थापित कराने में विफल रहा है। अभियोजन साक्ष्य बंद होने के पश्चात् दिनांक 13.02.2026 को धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत अभिलेखित बयान में अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताया।

अभियुक्त के तरफ से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि 31 वर्ष पुराने इस मुकदमा में पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी अभियोजन द्वारा किसी साक्षी को साक्ष्य हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस तरह अभिलेख पर अभियुक्त के विरूद्ध दोषसिद्धि हेतु कोई साक्ष्य नहीं है। आगे वह अभियुक्त को धारा 232 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत दोषमुक्त करने की प्रार्थना करते हैं।

अभियोजन के ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा बचाव पक्ष के अधिवक्ता के कथन का विरोध नहीं किया गया।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के समर्थन में न्यायालय की ओर से सारी प्रक्रिया करने के बावजूद भी अभियोजन द्वारा इस 31 वर्ष पुराने वाद में कोई साक्ष्य उपस्थापित नहीं कराया गया है जिसके आधार पर एकमात्र अभियुक्त योगेन्द्र मल्लाह को **दं0प्र0सं0 की धारा 232** के अंतर्गत **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। पीठ लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि अविलम्ब मुक्ति आदेश जारी करें। यदि अभियुक्त किसी अन्य वाद में वांछित नहीं हो तो अविलम्ब न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त करें। कार्यालय, अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

Sd/-
(रवि रंजन)
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
बगहा, पश्चिमी चम्पारण।
16.03.2026

Date of Judgment/Order	16.03.2026
Date of Reserving Judgment/Order	07.03.2026
Uploading Date	25.03.2026
Uploaded by	Sri Rajeev Kumar, DWTC